

संचिका सं-111/मटा. (वि.वि.) 05/2020

पत्रांक-450(11)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उदय सिंह कुमावत,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

सभी प्राचार्य/अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक-23.6.2020

विषय :- COVID-19 Positive चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के Home Isolation हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में COVID-19 Positive Asymptomatic चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों (Frontline worker सहित) को होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जाय। सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों (Frontline worker सहित) को यह सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब उनके धर पर Self Isolation एवं अन्य पारिवारिक सम्पर्क को Quarantine करने की आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो। Home Isolation में रहने के दौरान इन्हें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करना होगा। COVID-19 से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण (symptom) आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करना होगा ताकि उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की जा सके।

उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का Home Isolation सैम्पल कलेक्शन के 14 दिनों के पश्चात् समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उनमें COVID-19 का कोई लक्षण (symptom) न हो। साथ ही Home Isolation में रह रहे उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संलग्न प्रपत्र में एक undertaking भी समर्पित करना होगा (प्रपत्र संलग्न)। अनु0-यथोक्त (संख्या-1)।

विश्वासभाजन,

(उदय सिंह कुमावत)

प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।